



जेल आधुनिकीकरण योजना

प्रलिस के लयः

जेल आधुनिकीकरण योजना, नालसा, ई-कारागार एवं अन्य संबधति योजनाएँ, सहायता अनुदान ।

मेन्स के लयः

नीतयों का नरिमाण और कारयान्वयन, जेल आधुनिकीकरण योजना एवं इसका महत्त्व तथा संबधति मुददे ।

चरचा में कयों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs- MHA) द्वारा राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों को जेल आधुनिकीकरण योजना (Modernisation of Prisons Project) के तहत जेलों का आधुनिकीकरण करने हेतु दशिया-नरिदेश जारी कयि गए हैं ।

प्रमुख बदि

जेल आधुनिकीकरण योजना की आवश्यकता:

- न्याय प्रणाली का अभिन अंगः
 - जेल देश की आपराधकि न्याय प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण और अभिन अंग हैं ।
 - वे न केवल अपराधियों को हरिसत में रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिती हैं बल्कि जेलों में वभिनि सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में उनके सुधार और पुनः एकीकरण की प्रकरयि में भी मदद करती हैं ।
- भारतीय जेलें लंबे समय से चली आ रही तीन संरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रही हैं जनिमें शामिल हैंः
 - जेलों में अधिक भीड़भाड़ ।
 - कर्मचारियों का अभाव तथा वतित की कमी ।
 - कैदियों के बीच हसिक टकराव ।

जेल आधुनिकीकरण योजना:

- **जेल आधुनिकीकरण योजना के बारे में:** भारत सरकार द्वारा जेलों में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने हेतु जेल आधुनिकीकरण योजना के माध्यम से राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों को वतितयि सहायता प्रदान करने का नरिणय लयिा गया है जसिमें शामिल हैंः
 - जेलों की सुरक्षा बढाना ।
 - सुधारात्मक प्रशासनकि कार्यक्रमों के माध्यम से कैदियों के सुधार और पुनर्वास के कार्य को सुगम बनाना ।
- **अवधि:** इस योजना की अवधि पाँच साल (वर्ष 2021 से वर्ष 2026) की है ।
- **अनुदान:** केंद्र सरकार परयोजना के कारयान्वयन हेतु राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों को सहायता अनुदान प्रदान करेगी ।
 - सहायता अनुदान एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, नकिया, संस्था या व्यक्ती को दी गई सहायता, दान या योगदान का भुगतान है ।
- **कारयान्वयन रणनीतः** गृह मंत्रालय राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों को एक राज्य/केंद्रशासति प्रदेश में जेलों की संख्या, जेल में बंद कैदियों की संख्या, जेल सटाफ आदि के आधार पर धन मुहैया कराएगा ।
 - वतितपोषण के प्रस्ताव पर जेल आधुनिकीकरण योजना के करयान्वयन हेतु गठति संचालन समतिद्वारा नरिणय लयिा जाएगा ।
- **कवरज:** परयोजना सभी राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों को कवर करेगी तथा वशेष रूप से केंद्रीय जेल, ज़िला जेल, उप-जेल, महिला जेल, खुली जेल, वशेष जेल आदि जेल के वभिनि प्रकारों को कवर करेगी ।

योजना का उददेश्य:

- जेलों के सुरक्षा ढाँचे में मौजूदा कमयियों को दूर करना ।

- जेलों को आधुनिक तकनीक के अनुरूप नए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना ।
- डोर फ्रेम / मेटल डटिकटर / सुरक्षा पोल, बैगेज स्कैनर्स / फ्रसिकिंग / सर्च / जैमिंग सॉल्यूशंस आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से जेल सुरक्षा प्रणाली को मज़बूत करना ।
- प्रशासनिक सुधारों, जिसमें व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से कैदियों को संभालने वाले जेल अधिकारियों की मानसिकता में बदलाव लाना तथा प्रशिक्षित सुधार विशेषज्ञों, व्यवहार विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों आदि की नयुक्त सहित कैदियों के कौशल विकास और पुनर्वास हेतु उनके लिये उपयुक्त कार्यक्रम शुरू करना ।

सरकार की संबंधित अन्य पहलें:

- **कारागारों की आधुनिकीकरण योजना:** कारागारों, बंदियों एवं कारागार कर्मियों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना वर्ष 2002-03 में प्रारंभ की गई थी ।
- **ई-जेल परियोजना:** **ई-जेल परियोजना** का उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन में दक्षता लाना है ।
- **मॉडल जेल मैनुअल 2016:** मैनुअल जेल कैदियों को उपलब्ध कानूनी सेवाओं (मुफ्त सेवाओं सहित) के बारे में वसितृत जानकारी प्रदान करता है ।
- **राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA):** इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था, जो समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने हेतु 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ था ।

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/modernisation-of-prisons-project>

